

प्रेस नोट:-

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 21.09.2019

पैदल गश्त अभियान:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपदीय पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते **290 भादवि में 22 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही:-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल-19 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानों द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर ने पूर्व में हुई अपराध गोष्ठी में जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए इस आदेश के अनुपालन में दिनांक 20.09.2019 को जनपद के थानों ने 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 175 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है-

01. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. समयदीन सोनकर पुत्र मंगरे नि0 मांदे थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-720/19, 02. शैलेन्द्र पुत्र हरिहर प्रसाद नि0 दनौवा विरवा बभनी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-721/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

02. थाना को0 देहात की गयी कार्यवाही-

01. ओम प्रकाश पुत्र निबरे, 02. गोविन्द पत्र मंगरे नि0 रमवापुर श्याम थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 80 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-316/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

03. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राम भवन पुत्र बुधई नि0 वरसैनिया थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-393/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

04. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. ढोढे पुत्र राम लोचन नि0 भोपतपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-359/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

05. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मंगल प्रसाद सोनकर पुत्र स्व0 अशर्फी लाल सोनकर नि0 नेवादा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-238/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

06. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. लूटावन पुत्र राम औतार नि0 इकनिया माझा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-252/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

07. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजपति उर्फ शिवकला पत्नी हरीराम नि0 चाइना पुरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा, 02. हरीराम उर्फ मुन्ना पुत्र राम सरन नि0 उपरोक्त के कब्जे से 10-10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-219/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

लड़की का अपहरण करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा राज करन नय्यर द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त—इरफान पुत्र इजराइल नि० महेशपुरवा मौजा शहरिया कला थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को थाना कौड़िया पर पंजीकृत मु०अ०सं०—100/19, धारा 363.366.376 भा०द०वि० व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 27.06.2019 को थाना कौड़िया क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना कौड़िया में अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें कौड़िया पुलिस ने प्रकाश में आये वांछित चल रहे अभियुक्त को आज दिनांक 21.09.2019 को मुखबिर की सूचना पर शहरिया कला के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 21.09.2019

चोरी की योजना बनाते समय अन्तर्जनपदीय शातिर चोरो के गैंग के 03 सदस्य गिरफ्तार, अवैध

असलहा व चाकू बरामद—

गिरफ्तार अभियुक्तगणः—

01. अख्तर पुत्र चहटा निवासी ग्राम पुरैना वाजिद ताना उत्तरौला जनपद बलरामपुर।
02. उदयभान पासी पुत्र शिवराज पासी निवासी परतिहनपुरवा थाना मोतीगंज गोण्डा हाल पता पकड़ियहवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
03. ओमबाबू सिंह पुत्र जगमोहन सिंह निवासी लौवाबीरपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा

बरामदगीः—

01. एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
02. एक अदद चाकू।
03. 02 टार्च।
04. 01 अदद आला नकब।
05. चाभी का गुच्छा।

पंजीकृत अभियोगः—

01. मु०अ०सं०— 363/19, धारा 401 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०— 364/19, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
03. मु०अ०सं०—365/19, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

अभियुक्त अख्तर का अपराधिक इतिहासः—

01. मु०अ०सं०—246/05 धारा 307.353 भादवि व 7 सी०एल०ए० एक्ट थाना उत्तरौला जनपद बलरामपुर।
02. मु०अ०सं०—391/05 धारा 3 उ०प्र० गुण्डा अधि० थाना उत्तरौला जनपद बलरामपुर।
03. मु०अ०सं०—20/08 धारा 395.397.412 भा०द०वि० व 3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर अधि० थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर
04. मु०अ०सं०—24/08 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उत्तरौला जनपद बलरामपुर।
05. मु०अ०सं०—342/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उत्तरौला जनपद बलरामपुर।
06. मु०अ०सं०—243/19 धारा 498ए. 323 भा०द०वि० व 3/4 डी०पी० एक्ट थाना उत्तरौला जनपद बलरामपुर।
07. मु०अ०सं०—363/19 धारा 401 भा०द०वि० थाना वजीरगंज गोण्डा/
08. मु०अ०सं० 365/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज गोण्डा।

अभियुक्त उदयभान पासी का अपराधिक इतिहासः—

01. मु०अ०सं० 224/01 धारा 3/25 आर्म्स थाना वजीरगंज गोण्डा।
02. मु०अ०सं० 10/03 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मोतीगंज गोण्डा।
03. मु०अ०सं० 16/04 धारा 436.504.506 भादवि व 3(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना मोतीगंज गोण्डा।
04. मु०अ०सं० 126/9 धारा 323.324.427.452 भादवि थाना मोतीगंज गोण्डा।
05. मु०अ०सं० 226/09 धारा 459 भादवि थाना वजीरगंज गोण्डा।
06. मु०अ०सं० 23/14 धारा 60/63 आबकारी अधि० थाना वजीरगंज गोण्डा।
07. मु०अ०सं० 38/14 धारा 360.504 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
08. मु०अ०सं० 241/14 धारा 3(1)यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना वजीरगंज गोण्डा।
09. मु०अ०सं० 271/14 धारा 60 आबकारी अधि० थाना वजीरगंज गोण्डा।
10. मु०अ०सं० 14/17 धारा 110जी सीआरपीसी थाना मोतीगंज।
11. मु०अ०सं० 278/18 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना वजीरगंज गोण्डा।
12. मु०अ०सं० 373/18 धारा 401 भादवि थाना तरबगंज गोण्डा।

13. मु0अ0स0 375/18 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना तरबगंज गोण्डा।
14. मु0अ0सं0 363/19 धारा 401 भा0द0वि0 थाना वजीरगंज गोण्डा।
15. मु0अ0सं0 364/19 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना वजीरगंज गोण्डा।

अभियुक्त ओमबाबू सिंह का अपराधिक का इतिहास:-

01. मु0अ0स0 123/04 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज गोण्डा।
02. मु0अ0स0 निल/04 धारा 41/411 भादवि थाना धानेपुर गोण्डा।
03. मु0अ0स0 141/04 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज गोण्डा।
04. मु0अ0स0 298/14 धारा 457/380 भादवि थाना छपिया गोण्डा।
05. मु0अ0स0 590/16 धारा 110जी सीआरपीसी थाना छपिया जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0स0 373/18 धारा 401 भादवि थाना तरबगंज गोण्डा।
07. मु0अ0स0 376/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना तरबगंज, गोण्डा।
08. मु0अ0सं0 363/19 धारा 401 भा0द0वि0 थाना वजीरगंज गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण:-

अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में शातिर लुटेरो व नकबजनों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा राज करन नय्यर द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को निर्देशित किया गया।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज मय हमराह फोर्स के साथ दिनांक 20/21.09.2019 की रात्रि क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि शातिर अपराधियों का एक गिरोह चोरी/लूट की घटना को अन्जाम देने के लिए थाना क्षेत्र में आया है। इस सूचना पर सक्रियता से कार्यवाही करते हुए समय 23.40 बजे करनीपुर पंचायत भवन के पास सागौन के बाग से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक अदद आला नकब, चाभी का गुच्छा, दो अदद टार्च, एक अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना वजीरगंज में गिरफ्तारी व बरामदगी के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया। उक्त गैंग के सदस्य जनपद गोण्डा, जनपद बलरामपुर में विभिन्न जगहों पर अपराध कारित किये है तथा पूर्व में जेल जा चुके है।

गिरफ्तार कर्ता टीम:-

01. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार दुबे।
02. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार वर्मा।
03. उ0नि0 भगवान यादव।
04. उ0नि0 अनंत कुमार सिंह।
05. हेड का0 सरोज।
06. का0 पंकज यादव।